कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
दुर्गावती बाँध प्रमण्डल–1, भीतरीबाँध

Email :eeodam1@gmail.com

अति अल्पकालीन कोटेशन आमंत्रण सूचना संख्या (NIQ)-03/2026-27

पत्रांक– 486 /03/2026– ....,भीतरीबाँध, दिनांक–...26/05....... /2026

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि दुर्गावती बाँध प्रमंडल–1, भीतरीबाँध के अन्तर्गत **Water Treatment Plant** भीतरीबाँध कोलॉनी परिसर में कुल 35 अदद वृक्षों के पातन, पातित होने वाले वृक्षों के जड़ को उखाड़ने, इमारती तथा जलावन लकड़ी को अलग कर **Stacking** करने के कार्य, **Loading & Unloading** का कार्य एवं वन विभाग कैमूर के वनागार (मकरीखोह) तक पातित काष्ठ को पहुचाने का कार्य का अति अल्पकालीन कोटेशन आमंत्रित किया जाता है।

1. कोटेशन आमंत्रित सूचना निर्गत करने की तिथि : दिनांक–26.05.2026
2. कोटेशन जमा करने की अवधि : दिनांक–04.06.2026 को 3:00 बजे अपराह्न तक।
3. कोटेशन जमा करने का स्थान : कार्यपालक अभियंता, दुर्गावती बाँध प्रमंडल–1, भीतरीबाँध के कार्यालय में।
4. कोटेशन खोलने की तिथि एवं समय : दिनांक–04.06.2026 को 3:30 बजे अपराह्न में।
5. विज्ञापनदाता का पदनाम एवं पता : कार्यपालक अभियंता, दुर्गावती बाँध प्रमंडल–1, भीतरबाँध। मोबाईल नं0–7463889417

तकनीकी निविदा शर्त

1. आवश्यकता अनुसार ही चिन्हित वृक्षों को पातन किया जायेगा, पातित होने वाले वृक्षों के जड़ों को भी उखाड़ कर वनागार में आपके स्वयं के खर्च पर पहुँचाया जायेगा तथा वृक्ष बचाने हेतु संभव प्रयास सुनिश्चित किया जायेगा।
2. पातन जड़ से करना आवश्यक है इसमें पातन किये गये जड़ के उपर छोड़कर काटने से राजस्व की होने वाली क्षति की जिम्मेवारी आपकी होगी।
3. पातन के उपरान्त वनागार तक काष्ठों का परिवहन कर पहूँचाने की सारी जिम्मेवारी एवं सुरक्षा आपकी होगी।
4. वृक्षों के काटने के समय संबंधित वनों के क्षेत्र पदाधिकारी या अधीनस्थ वन कर्मी एवं प्रमंडलान्तर्गत पदाधिकारी/अभियंताओं रहेंगे एवं उनके देख–रेख में वृक्षों का पातन कार्य किया जायेगा। इनके अनुपस्थिति में किसी भी तरह का पातन का कार्य को अवैध पातन माना जायेगा।
5. मार्किंग वृक्ष पातन करने के उपरान्त पातन पंजी में संधारित करना आवश्यक है जिसमें वृक्षों से प्राप्त होने वाली काष्ठ, जलावन का विवरण रहेगा। जिसके आधार पर डिपू में प्राप्त काष्ठ का सत्यापन किया जा सकेगा।
6. पातन पंजी में वृक्ष संख्या, प्रजाति स्थल का नाम, छाति की उचाँई पर गोलाई, प्राप्त बोटो की संख्या एवं उन बोटो की मापी तथा आयतन की प्रविष्टि के साथ निर्गत परिवहन अनुज्ञा–पत्र के संख्या एवं तिथि ढुलाई में प्रयोग करने वाले वाहन की निबंधन संख्या एवं चालक का नाम जिसके द्वारा उक्त बोटो का परिवहन किया जायेगा का प्रविष्टि का अंकित सुनिश्चित किया जायेगा।
7. वृक्षों के पातन किसी एक तरफ से किया जायेगा। इससे चोरी की संभवना नहीं रहेगी। विभागीय स्तर से निरीक्षण में सुविधा होगी।
8. वृक्षों के प्रतिदिन पातन के उपरान्त गंतब्य स्थान तक अबिलम्ब परिवहन कराया जायेगा ताकि प्राप्त काष्ठ/जलावनो का भण्डारण सुरक्षित रह सके। किसी भी परिस्थिति में पातन के उपरान्त प्राप्त काष्ठो को स्थल पर नहीं छोड़ा जायेगा।

9. परिवहन अनुज्ञा–पत्र अपराह्न 5:00 बजे (सूर्यास्त से पहले तक) ही निर्गत किया जायेगा।

10. पातन काष्ठ का मापी सही ढंग से पातन पंजी में अंकित किया जायेगा एवं उक्त आलोक में परिवहन अनुज्ञा–पत्र में काष्ठों का विवरणी डिपू में पूर्ण मापी का समय सत्यापन किया जायेगा।

11. इस कार्य के लिए आपके हमेशा अपने कार्यस्थल पर अभिलेखों एवं पंजी के साथ उपस्थित रहेंगे।

12. आप अपना पहचान पत्र एवं मोबाईल नं0 के साथ इस कार्यालय को सूचना उपलब्ध करायेंगे।

13. अधीक्षण अभियंता, दुर्गावती निर्माण अंचल, भीतरीबाँध के द्वारा अनुमोदित दर पर कार्य करना अनिवार्य होगा। कोटेशन दाता के चयन होने उपरान्त 1000.00 (एक हजार) मात्र के स्टाम्प पेपर पर एकरारनामा किया जायेगा।

14. पातन के उपरान्त परिवहन में उपयोग किये जाने वाले वाहन का निबंधन संख्या तथा सभी अभिलेख की सूची इस कार्यालय में उपलब्ध किया जायेगा तथा ताकि परिवहन कार्य पर नियंत्रण किया जा सके। बिना निबंधन के वाहन का उपयोग परिवहन में नहीं किया जायेगा।

15. कार्य स्थल पर अग्नि सुरक्षा हेतु अग्निश्मन के उपकरण उपलब्ध रहेंगे।

16. पातन स्थल में परिवहन अनुज्ञा–पत्र निर्गत करने तथा वनागार में संधारण एवं भण्डारण कार्य उस प्रक्षेत्र में पदस्थापित संबंधित वनपाल जिम्मेवारी होगी।

17. वनागार स्थल में अवस्थित परिसर का वनपाल, डिपो प्रभारी भी रहेंगे।

18. कोटेशन कभी भी बिना कारण बताए अद्योहस्ताक्षरी द्वारा रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

19. संबंधित मद में आवंटन उपलब्ध होने पर नियमानुसार सभी करों की कटौती के पश्चात भुगतान की जायेगी।

20. पतित काष्ठों को लोड़िंग करने के पूर्व में स्टैकिंग कराकर स्टैक्ड आयतन को प्रविष्टि करेंगे। वनागार में गेट रजिस्टर, डिपो कन्ट्रोल रजिस्टर, लॉट निर्माण पजीं आदि नियमित रूप से संधारित किया जायेगा। वाहन प्रवेश के समय तथा टी0 पी0 संख्या अंकित करने के उपरान्त ही लॉट का निर्माण किया जायेगा। बिना क्रम संख्या प्रविष्टि किये डिपो कन्ट्रोल रजिस्टर,में प्रविष्टि नहीं किया जायेगा।

विश्वासभाजन

A. Kumar
26/05/26

(ई0 अभिषेक कुमार)

कार्यपालक अभियंता

दुर्गावती बाँध प्रमंडल–1, भीतरीबाँध।

26/05/26

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
दुर्गावती बाँध प्रमण्डल–1, भीतरीबाँध

Email :eeodam1@gmail.com

अति अल्पकालीन कोटेशन आमंत्रण सूचना संख्या (NIQ)-03/2026-27

पत्रांक– /03/2026– ....,भीतरीबाँध, दिनांक–........................../2026

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि दुर्गावती बाँध प्रमंडल–1, भीतरीबाँध के अन्तर्गत **Water Treatment Plant** भीतरीबाँध कोलॉनी परिसर में कुल 35 अद्द वृक्षों के पातन, पातित होने वाले वृक्षों के जड़ को उखाड़ने, इमारती तथा जलावन लकड़ी को अलग कर **Stacking** करने के कार्य, **Loading & Unloading** का कार्य एवं वन विभाग कैमूर के वनागार (मकरीखोह) तक पातित काष्ठ को पहुचाने का कार्य का अति अल्पकालीन कोटेशन आमंत्रित किया जाता है।

1. कोटेशन आमंत्रित सूचना निर्गत करने की तिथि : दिनांक–26.05.2026
2. कोटेशन जमा करने की अवधि : दिनांक–04.06.2026 को 3:00 बजे अपराह्न तक।
3. कोटेशन जमा करने का स्थान : कार्यपालक अभियंता, दुर्गावती बाँध प्रमंडल–1, भीतरीबाँध के कार्यालय में।
4. कोटेशन खोलने की तिथि एवं समय : दिनांक–04.06.2026 को 3:30 बजे अपराह्न में।
5. विज्ञापनदाता का पदनाम एवं पता : कार्यपालक अभियंता, दुर्गावती बाँध प्रमंडल–1, भीतरबाँध। मोबाईल नं0–7463889417

तकनीकी निविदा शर्त

1. आवश्यकता अनुसार ही चिन्हित वृक्षों को पातन किया जायेगा, पातित होने वाले वृक्षों के जड़ों को भी उखाड़ कर वनागार में आपके स्वयं के खर्च पर पहुँचाया जायेगा तथा वृक्ष बचाने हेतु संभव प्रयास सुनिश्चित किया जायेगा।
2. पातन जड़ से करना आवश्यक है इसमें पातन किये गये जड़ के उपर छोड़कर काटने से राजस्व की होने वाली क्षति की जिम्मेवारी आपकी होगी।
3. पातन के उपरान्त वनागार तक काष्ठों का परिवहन कर पहूँचाने की सारी जिम्मेवारी एवं सुरक्षा आपकी होगी।
4. वृक्षों के काटने के समय संबंधित वनों के क्षेत्र पदाधिकारी या अधीनस्थ वन कर्मी एवं प्रमंडलान्तर्गत पदाधिकारी/अभियंताओं रहेंगे एवं उनके देख–रेख में वृक्षों का पातन कार्य किया जायेगा। इनके अनुपस्थिति में किसी भी तरह का पातन का कार्य को अवैध पातन माना जायेगा।
5. मार्किंग वृक्ष पातन करने के उपरान्त पातन पंजी में संधारित करना आवश्यक है जिसमें वृक्षों से प्राप्त होने वाली काष्ठ, जलावन का विवरण रहेगा। जिसके आधार पर डिपू में प्राप्त काष्ठ का सत्यापन किया जा सकेगा।
6. पातन पंजी में वृक्ष संख्या, प्रजाति स्थल का नाम, छाति की उचाँई पर गोलाई, प्राप्त बोटो की संख्या एवं उन बोटो की मापी तथा आयतन की प्रविष्टि के साथ निर्गत परिवहन अनुज्ञा–पत्र के संख्या एवं तिथि ढुलाई में प्रयोग करने वाले वाहन की निबंधन संख्या एवं चालक का नाम जिसके द्वारा उक्त बोटो का परिवहन किया जायेगा का प्रविष्टि का अंकित सुनिश्चित किया जायेगा।
7. वृक्षों के पातन किसी एक तरफ से किया जायेगा। इससे चोरी की संभवना नहीं रहेगी। विभागीय स्तर से निरीक्षण में सुविधा होगी।
8. वृक्षों के प्रतिदिन पातन के उपरान्त गंतब्य स्थान तक अबिलम्ब परिवहन कराया जायेगा ताकि प्राप्त काष्ठ/जलावनो का भण्डारण सुरक्षित रह सके। किसी भी परिस्थिति में पातन के उपरान्त प्राप्त काष्ठो को स्थल पर नहीं छोड़ा जायेगा।

9. परिवहन अनुज्ञा–पत्र अपराह्न 5:00 बजे (सूर्यास्त से पहले तक) ही निर्गत किया जायेगा।

10. पातन काष्ठ का मापी सही ढंग से पातन पंजी में अंकित किया जायेगा एवं उक्त आलोक में परिवहन अनुज्ञा–पत्र में काष्ठों का विवरणी डिपू में पूर्ण मापी का समय सत्यापन किया जायेगा।

11. इस कार्य के लिए आपके हमेशा अपने कार्यस्थल पर अभिलेखों एवं पंजी के साथ उपस्थित रहेंगे।

12. आप अपना पहचान पत्र एवं मोबाईल नं0 के साथ इस कार्यालय को सूचना उपलब्ध करायेंगे।

13. अधीक्षण अभियंता, दुर्गावती निर्माण अंचल, भीतरीबाँध के द्वारा अनुमोदित दर पर कार्य करना अनिवार्य होगा। कोटेशन दाता के चयन होने उपरान्त 1000.00 (एक हजार) मात्र के स्टाम्प पेपर पर एकरारनामा किया जायेगा।

14. पातन के उपरान्त परिवहन में उपयोग किये जाने वाले वाहन का निबंधन संख्या तथा सभी अभिलेख की सूची इस कार्यालय में उपलब्ध किया जायेगा तथा ताकि परिवहन कार्य पर नियंत्रण किया जा सके। बिना निबंधन के वाहन का उपयोग परिवहन में नहीं किया जायेगा।

15. कार्य स्थल पर अग्नि सुरक्षा हेतु अग्निशमन के उपकरण उपलब्ध रहेंगे।

16. पातन स्थल में परिवहन अनुज्ञा–पत्र निर्गत करने तथा वनागार में संधारण एवं भण्डारण कार्य उस प्रक्षेत्र में पदस्थापित संबंधित वनपाल जिम्मेवारी होगी।

17. वनागार स्थल में अवस्थित परिसर का वनपाल, डिपो प्रभारी भी रहेंगे।

18. कोटेशन कभी भी बिना कारण बताए अद्योहस्ताक्षरी द्वारा रद्ध करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

19. संबंधित मद में आवंटन उपलब्ध होने पर नियमानुसार सभी करों की कटौती के पश्चात भुगतान की जायेगी।

20. पतित काष्ठों को लोड़िंग करने के पूर्व में स्टैकिंग कराकर स्टैक्ड आयतन को प्रविष्टि करेंगे। वनागार में गेट रजिस्टर, डिपो कन्ट्रोल रजिस्टर, लॉट निर्माण पजीं आदि नियमित रूप से संधारित किया जायेगा। वाहन प्रवेश के समय तथा टी0 पी0 संख्या अंकित करने के उपरान्त ही लॉट का निर्माण किया जायेगा। बिना क्रम संख्या प्रविष्टि किये डिपो कन्ट्रोल रजिस्टर,में प्रविष्टि नहीं किया जायेगा।

विश्वासभाजन

ह0/–

(ई0 अभिषेक कुमार)
कार्यपालक अभियंता
दुर्गावती बाँध प्रमंडल–1, भीतरीबाँध।

पत्रांक– 486 / भीतरीबाँध   दिनांक– 26/05/2026

प्रतिलिपि :–सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करना चाहेगें।

A. Kumar 26/05/26
कार्यपालक अभियंता
दुर्गावती बाँध प्रमंडल–1, भीतरीबाँध।
26/05/26